

भारतीय ज्ञान परम्परा में कृषि विकास की पुरातन अवधारणा

डॉ. एस. एस. गौतम

प्राध्यापक (संस्कृत)

ssgautam1967@gmail.com

शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर, जिला शिवपुरी (म. प्र.)

शोध आलेख का सार- “वेद” भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व मानव समाज के ज्ञान-विज्ञान के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। मानव जीवन के संचालन के लिए भोजन की महत्ती आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति कृषि कार्य से ही सम्भव है कृषि न केवल जीविकोपार्जन का साधन है बल्कि अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्त्रोत भी है। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि पर ही आधारित है। भारत में प्राचीन काल से कृषि के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। कृषि से उत्पन्न अन्न आजीविका का मुख्य साधन था। अतैव वैदिक युग में इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही अन्न की समस्या उत्पन्न हुई इसके निवारण के लिए कृषि विद्या का अविष्कार हुआ। ऋग्वेद और अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि कवि (मेधावी, दूरदर्शी) और धीर (विद्वान) मनुष्य कृषि कार्य अपनाते थे-

सीरा युञ्जन्ति कवयो....धीरा। 1

कृषि कार्य गौरव का कार्य था अतः इन्द्र और पूसा (पूसन्) देवों को उसमें लगाया गया था-

इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषा। 2

अश्विनी देवों द्वारा सर्वप्रथम जौ की खेती करने का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है-

भव कृकेणाश्विनापन्ते

से दुहन्ता मनुषाम् दस्त्रा

अभि दस्युं वकुरेणा घमन्तो

रूज्योतिश्चक मुराथार्थी 3

कुञ्जीशब्द – स्त्रोत, गुणवत्ता, मेधावी, दूरदर्शी, अन्नविद्, याम्, कार्षीवण, क्रान्ति, कर्षण, वपन, लवन, मर्दन, पुरुषार्थी, परशु, कृपीट, अधिष्ठाता, मरुत्, भू-स्वामित्व, ऊसर, लगान, सीरपति, कीनाश, क्षेत्रवित्, अक्षेत्रवित, अप्तस्वती, इरणा, क्षार, आर्तना, शष्प्य, वर्ष्य, अवर्ष्य, नहर, कूप, कृष्टपच्य, आकृष्टपच्य, कंकड़, भू-परिष्कार, लांगल, सीर, वज्र, पवीरवत्, सुशीम, ईषा, वरत्रा, अष्ट्रा, प्रतोद, वाह, करीष, शकन्, शकृत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्रंस्, आखु, व्यद्वर, तर्दापति, वघापति, तृष्टजम्भ, मटची, माष, यव, खल्ब, प्रियंगु, अणु, श्यामाक, नीवार, गोधूम।

वेदों में कृषि विज्ञान एवं कृषि कर्म से जुड़े तत्त्व यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरे हुए हैं इस शोधालेख का उद्देश्य उन तत्त्वों का अनुसंधान कर सुधि पाठकों के लिए प्रेषित करना है ताकि कृषि कार्य की प्राचीनता एवं उसकी वैज्ञानिकता के साथ-साथ इसके महत्त्व का प्रतिपादन करना है।

अथर्ववेद के एक मन्त्र में कृषि- विशेषज्ञों को 'अन्नविद्' नाम देते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही कृषि के नियम (याम) बनाये थे।

यद् यामं चक्रुः कार्षीवण अन्नविदः। 4

इस मन्त्र में कृषक के लिए 'कार्षीवण' शब्द दिया गया है।

अथर्ववेद का कथन है कि मानव जीवन की प्रमुख समस्या अन्न है।

अन्ने समस्य यदसन् मनीषाः। 5

अतः इस समस्या को हल करने के लिए कृषि की उपज बढ़ाना, उसके सहायक तत्त्वों बीज आदि की उन्नत किस्म तैयार करना आवश्यक है। आजादी के बाद भारत सरकार ने इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया।

वर्ष 1967-68 तथा 1977-78 की अवधि में हुई हरित क्रान्ति ने भारत को खाद्यान की कमी वाले देश की श्रेणी से बाहर निकाल दिया और भारत में जय जवान के साथ- साथ जय किसान का नारा बुलन्द हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रान्ति शुरू की गई। उस समय हमारा देश खाद्यान के मामले में अमरीका पर निर्भर रहता था आज हम न केवल अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे बल्कि बड़ी मात्रा में खाद्यान का निर्यात भी कर रहे हैं।

यजुर्वेद में राजा के चार प्रमुख कर्तव्य बताये गए हैं उनमें कृषि को उन्नत करना सर्वप्रथम बताया गया है।

यथा- कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा। 6

शतपथ ब्राह्मण में पूरे कृषि कार्य का चार शब्दों में वर्णन किया गया है-

- (1) कर्षण – खेत की जुताई और सफाई करना।
- (2) वपन – बीज बोना।
- (3) लवन – पकी फसल की कटाई करना ।
- (4) मर्दन – मड़ाई (तुष-भुस) अलग कर शुद्ध अन्न प्राप्त करना।

यथा – कृषन्तः, वपन्तः, लुनन्तः, मृणन्तः। 7

कृषि का प्रारम्भ -: भारत में कृषि विद्या का किस प्रकार विकास हुआ इसका वैज्ञानिक पक्ष अपनी जगह है किन्तु वैदिक साहित्य में रोचक प्रसंग ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के एक मन्त्र में लिखा गया है कि –

“देवास आयन परशून् अबिभ्रन्, वना वृश्चन्तो अभि विड्भिभरायन्।

निसुदवं दधेता वक्षणासु, यात्रा कृपीट मनु तद् दहन्ति।” 8

अर्थात् (सर्वप्रथम देवगण (पुरूषार्थी विद्वान) आगे आए उनके पास अपनी कुल्हाडियाँ (परशु) थी। उन्होंने जंगलों को काटकर साफ किया । उनके साथ उनके कुछ सहयोगी (परिजन या इष्ट-मित्र) विश भी थे। उन्होंने उपयोगी लकड़ियों (बल्लियों आदि, सुद्र) को नदियों के किनारे रख दिया और जहाँ-कहीं घास-फूस (कृपीट) थी उसे जला दिया।)

“जंगलों को काटकर साफ किया गया भूमि को समतल किया गया और उसमें कृषि कार्य प्रारम्भ किया गया। आज भी इस प्रकार के उदाहरण मारीशस आदि द्वीपों में विद्यमान हैं, जहाँ कंकड़-पत्थरों के टीले खेतों के समीप विद्यमान हैं। मारीशस कृषि कार्य करने का श्रेय भारत-मूल के निवासियों को ही है।” 9

कृषि का अविष्कारक – भारतीय वैदिक साहित्य परम्परा में राजा वेन के पुत्र पृथी (पृथु) को कृषि विद्या का अविष्कारक माना जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्राप्त होता है यथा –

पृथी यद् वां वैन्यः। 10

तां पृथी वैन्योऽधोक, तां कृषिं च सस्यं चाधोक। 11

अथर्ववेद का कथन है कि मनु वैवस्वत की वेश परम्परा में वेन का पुत्र पृथी राजा हुआ। उसने कृषि की और अन्न उत्पन्न किए। अथर्ववेद का कथन है कि सरस्वती नदी के किनारे की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसमें माधुर्यगुण युक्त जौ की खेती की गई। इसमें इन्द्र कृषि कर्म अधिष्ठाता और मरुत देवों ने किसान का काम किया। इससे प्रतीत होता है कि सरस्वती के तट की भूमि उपजाऊ रही होगी और सर्वप्रथम यव (जौ) की खेती प्रारम्भ हुई। इसका उल्लेख अथर्ववेद में इस प्रकार मिलता है कि –

देवा इमं मधुना संयुतं यवं, सरस्वत्यामधि मणावचर्कषुः।

इन्द्र आसीत सीरपतिः शतृकतुः की नाशा आसन् मरुतः सुदानवः। 12

भूस्वामित्व – वेदों में भू-स्वामित्व के विषय में बहुत स्पष्ट निर्देश नहीं हैं जो वर्णन प्राप्त होते हैं उससे ज्ञान होता है कि खेतों को नाप कर अलग-अलग किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लेख है कि तेजन (फीता, रस्सी, सरकंडे की छड़ी या मापदण्ड) से खेत को नापा जाता था।

यथा– क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेन। 13

ऋग्वेद के एक मन्त्र में उल्लेख है कि अपाला ने अपने पिता की बंजर(ऊसर) भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इन्द्र से प्रार्थना की थी। यथा-

इन्द्र वि रोहय तत्स्योर्वराम्। 14

इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्तियों की कुछ निजी भूमि होती रही होगी और परिवार (कुटुम्ब) के मुखिया का स्वामित्व रहा होगा। प्रायः आज भी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के मुखिया का भू-स्वामित्व देखा जा सकता है।

भू-स्वामित्व का एक आधार भूमि पर लगने वाला लगान (Tax) राजा अपने कोष की वृद्धि हेतु भूमि पर कर लगाकर वसूलते जिसे राजस्व से प्राप्त आय कहा जाता है पुरातन काल में जमींदारों द्वारा लगान वसूल किया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में लगान(कर) के लिए ‘बलि’ शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। करदाता को ‘बलिकृत’ कहा जाता था।

यथा- अन्यस्य बलिकृत्। 15

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में लगान एकत्रित करने के लिए जिला मुख्यालय पर कलेक्टर नियुक्त किए गए थे जो वर्तमान में भी हैं। इस सम्बन्ध में कौटिलीय अर्थशास्त्र विशद् विवेचन हुआ है।

अथर्ववेद में “क्षेत्रस्य पतये” और यजुर्वेद में “क्षेत्राणां पतये” खेतों का स्वामी कहा गया है यथा-

नमः क्षेत्रस्य पतये। 16

क्षेत्राणां पतये नमः। 17

इससे ज्ञात होता है कि कुछ लोगों के पास एक खेत ही कृषि के लिए होता था और कुछ के पास अनेक खेत कृषि हेतु होते थे। ये उसके स्वामी होते थे। अथर्ववेद के एक मन्त्र में “क्षेत्रस्य पत्नी” अर्थात् क्षेत्र की स्वामिनी का भी उल्लेख है-

क्षेत्रस्य पत्नी। 18

अथर्ववेद के एक मन्त्र में इन्द्र या राजा को “सीरपति” हल या खेत का स्वामी बताते हुए मरुतों को किसान (कीनाश) बनाया गया।

इन्द्र आसीत् सीरपतिः कीनाश आसन् मरुतः। 19

ऋग्वेद के एक मन्त्र में कृषि-विशेषज्ञ को “क्षेत्रवित्” कहा गया है। वह खेतों की नाप, नाली बनाने का ढंग तथा बीज के गुण आदि का विशेषज्ञ होता था। मन्त्र में कहा गया है कि “अक्षेत्रवित्” (सामान्य कृषक) उस ‘क्षेत्रवित्’ से पूछता है और उसके आदेशानुसार काम करता है।

यथा-अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदं ह्यप्राट्। 20

भूमि के भेद – ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता और अथर्व वेद में भूमि के तीन भेदों का उल्लेख मिलता है-

1. उर्वरा भूमि उपजाऊ के लिए अप्नस्वती शब्द भी है

खुदाई-जुताई आदि के बाद तैयार भूमि के लिए अप्नस्वती शब्द है

यथा- अप्नस्वतीषु, उर्वरासु, आर्तनासु। 21

2. इरणा ऊसर, क्षार मिट्टी वाला क्षेत्र। उसर के लिए ऊषर और आर्तना शब्द भी हैं।

3. शष्प्य चारागाह योग्य भूमि।

यथा- उर्वर्याय, शष्प्याय, इरिण्याय। 22

कृषि के भेद- कृषि के मुख्य रूप से दो भेद गिनाए हैं, ये हैं-

1. वर्ष्य अर्थात् वर्षा पर निर्भर रहने वाली कृषि।

2. अवर्ष्य- वर्षा पर निर्भर न रहने वाली अर्थात् वर्षा के अतिरिक्त नहर, कूप, तालाब, आदि सिंचाई के अन्य साधनों पर निर्भर।

इसके साथ-साथ कृषि के अन्य दो भेदों का उल्लेख है-

1. कृष्टपच्य जुते हुए खेतों में उत्पन्न होने वाली कृषि

2. अकृष्टपच्य बिना कृषि के उत्पन्न होने वाले अन्न। जंगल में उत्पन्न होने वाले जंगली धान(नीवार) आदि फल-फूल।

यथा- वर्ष्याय, अवर्ष्याय। 23

कृष्टपच्याः अकृष्टपच्याः। 24

कृषि कर्म- ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कृषि कर्म का विस्तार से उल्लेख है संक्षेप में कृषि कर्म को इस प्रकार कहा जा सकता है सर्वप्रथम कृषि-योग्य उर्वरा भूमि को हल के फाल से जोता जाता है उसमें से अवांछनीय घास-फूस, कंकड़-पत्थर आदि को निकाला जाता है। इसे भू-परिष्कार कहते हैं। इस प्रकार खेत को बीज बोने के योग्य बनाया जाता है। कृषि के योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहते हैं। बैलों को रस्सी से बांधकर उन पर जुआ रखा जाता है और जुती हुई भूमि में बीज बोया जाता है, अच्छी जुती और उर्वरा भूमि में उत्तम कृषि होती है।

कृषि उपकरण- वेदों में कृषि कार्य सम्पन्न करने हेतु कुछ उपकरणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है- हल- हल के लिए लांगल और सीर शब्द हैं। हल के लिए कहा गया है कि वज्र के तुल्य कठोर (पवीरवत्) और चलाने में सुखद (सुशीम) हो उसकी मूठ चिकनी हो।

लाङ्. गलं पवीरवत्। 25

सीता, फाल- हल के अगले नुकीले भाग के लिए सीता और फाल शब्द हैं। सीता शब्द कृषि के देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है।

यथा- सीताम्। 26
सुफालाः। 27
सीते वन्दामहे। 28

ईषा, युग, वरत्रा- हल में लम्बी लकड़ी (हलस) लगी रहती है, उसके लिए 'ईषा' शब्द है। इसके निचले भाग में हल की फाल लगती है उसके ऊपर जुआ (युग) रखा जाता है। हलस और जुए को रस्सी (वरत्रा) से बांधा जाता है।

ईषायुगेम्यः। 29
वरत्रा। 30

अष्ट्रा (प्रतोद)- किसान जिस चाबुक या छड़ी से बैलों को हाँकता है उसे अष्ट्रा या प्रतोद कहते हैं।

अष्ट्राम्। 31
प्रतोदः। 32

बैल- बैल के लिए वेद में 'वाह' शब्द का प्रयोग है। मन्त्र में कहा गया है कि बैल, कृषक, हल और चाबुक उत्तम होने चाहिए। जिससे हल को सरलता से चलाया जा सके। अथर्ववेद और काठक संहिता में 6, 8 और 12 जुओं वाले हलों का वर्णन है। एक जुए में दो बैल लगते हैं। इस प्रकार 12, 16 और 24 बैलों वाले बड़े हल भी कृषि के काम आते थे।

यथा- अष्टायोगैः षड्योगेभिः। 33
सीरं व द्वादशयोगम्। 34

खाद- वेदों में कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद के उपयोग का वर्णन है। खाद के लिए करीष, शकन् और शकृत् (गोबर, विष्ठा) शब्दों का प्रयोग हुआ है।

यथा- करीषिणीः। 35
करीषिणी फलवतीम्। 36

अथर्ववेद में खाद को फलवती कहा है इससे ज्ञान होता है कि उस समय भी खाद की उपयोगिता को ठीक समझा गया था।

उर्वरक- ऋग्वेद के एक मन्त्र में उर्वरक के लिए 'क्षेत्रसाधस्' शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षेत्रसाधस् का अर्थ है (खेत) कि उत्पादन शक्ति को बढ़ाने वाले मंत्र में कहा गया है कि क्षेत्रसाधस् (उर्वरक) हमें उत्कृष्ट उपज दें।

यथा- ते नो व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसाधसः। 37

कृषि नाशक घटक- वेदों में जहाँ एक ओर कृषि करने के तौर-तरीकों एवं महत्त्व का उल्लेख प्राप्त होता है वहीं दूसरी तरफ कृषको कृषि नाशक घटकों के प्रति सचेत किया गया है। वेदों में कुछ कृषि नाशक घटकों का उल्लेख प्राप्त होता है।

अतिवृष्टि और अनावृष्टि- अथर्ववेद के एक मन्त्र में अतिवृष्टि और अनावृष्टि का संकेत करते हुए कहा गया है बिजली खेती पर न गिरे और सूर्य की तीव्र किरणें खेती को नष्ट न करें।

यथा- मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्या। 38

धूम और हिमपात- अथर्ववेद के एक मन्त्र में सूर्य को कड़ी धूप (घ्रंस) और हिमपात या पाला पड़ना को कृषि के लिए घातक बताया गया है।

न घ्रंस-तताप न हिमो जघान। 39

आखु (चूहा)- चूहों को भी खेती नाशक घटकों की श्रेणी में माना जाता है वर्तमान आधुनिक युग में भी खेती को चूहों से बचाने के चूहा नाशक (जहर) का उपयोग किसान आज भी करते हैं इसी भाव का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है-

हतं.....आखुम.....छिन्तं शिरो। 40

व्यद्वर- अथर्ववेद में कृषिनाशक तत्त्वों को व्यद्वर (अन्न खाने या चाटने वाले कीड़े) नाम दिया है इन सबको नष्ट करने का उल्लेख है ये कीड़े जंगली व घरेलू दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जंगली कीड़े को 'आरण्य' कहा है। कृषि को नष्ट करने के कारण इन्हें तर्दापति (अन्न में छेद करने वाले) वधापति (जहरीला कीट) और तृष्टजम्भ (तेज दाँत वाले कीट) कहा गया है।

व्यद्वराः तान सर्वान् जम्भ्यामसि।

तदीपते वधापते तृष्टजम्भाः। 41

मटची- छन्दोग्य उपनिषद् में टिड्डियों के लिए मटची शब्द दिया है। उपनिषद् में उल्लेख है कि टिड्डियों ने एक बार पूरे कुरु जनपद की खेती नष्ट कर दी थी और वहाँ अकाल पड़ गया था।

यथा- मटचीहतेषु कुरुषु। 42

जलचर पक्षी- ऋग्वेद में जलचर पक्षियों को कृषि नाशक बताया गया है और कहा गया है कि कृषक जलचर पक्षियों से अपने खेत की रक्षा करते थे इस बात का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है।

यथा- उदप्रुतो न वयो रक्षमाणाः। 43

सिंचाई का प्रबन्धन- ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तैत्तरीय संहिता और महाभारत में भी सिंचाई के साधनों से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री मिलती है। वेदों में वर्षा को सिंचाई प्रमुख साधन बताया गया है। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त और अथर्ववेद के वृष्टि सूक्त में वर्षा का सजीव चित्रण हुआ है। अथर्ववेद के प्राणसूक्त में भी वर्षा को प्राण स्वरूप बताते हुए वर्षा के लाभों का विस्तार से वर्णन है। इनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वर्षा भूमि को जल से आप्लावित कर देती है और सभी औषधियों वनस्पतियों और अन्न आदि में नवीन चेतना का संचार हो जाता है।

वर्षा से पृथ्वी के तृप्त होने से सभी प्रकार के अन्न और वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। वर्षा केवल जल ही नहीं है, अपितु वृक्ष-वनस्पतियों और कृषि के लिए प्राण स्वरूप है। एक मंत्र में तो मेघ (बादल) की प्रशंसा करते हुए उसे शक्तिशाली पिता तक कह दिया गया है। क्योंकि वह प्यासी धरती को पानी पिलाकर उसकी जान बचाता है। 44

अपो निषिञ्चन् असुरः पितः नः। 45

अथर्ववेद और ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि सिंचाई के प्रबन्धन की वैदिक काल में समुचित व्यवस्था थी जिसमें नहरों के जल से, नदियों के जल से, तालाबों के जल से, तथा कुएँ आदि के जल से सिंचाई की व्यवस्था थी।

या आपो दिव्याः खनित्रिमाः स्वयंजाः।

समुद्रार्थाः ता आपः। 46

यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता में बारह अनाजों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है- 1. ब्रीहि (धान), 2. यव (जौ), 3. माष (उड़द), 4. तिल (तिल), 5. मुद्ग (मूँग), 6. खल्ब (चना), 7. प्रियंगु (कैगनी धान), 8. अणु (पतला या छोटा चावल), 9. श्यामाक (साँवा), 10. नीवार (कोदों या तिन्नी धान), 11. गोधूम (गेहूँ), 12. मसूर (मसूर)। 47

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में कृषि का जो स्वरूप वर्तमान में दृष्टिगोचर होता है उसके बीज वैदिक साहित्य में मिलते हैं। वेद कालीन समाज कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से खेती नहीं करता था फिर भी उस समय का कृषक कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करने के साथ-साथ नवाचार के प्रति अग्रसर है जिन अनाजों का उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है वर्तमान सरकार भी मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है।

सन्दर्भ –

- (1) ऋग्वेद- 10.101.4 अथर्ववेद 3.17.1
- (2) अथर्ववेद- 3.17.4
- (3) ऋग्वेद- 1.117.21
- (4) अथर्ववेद 6-116-1
- (5) अथर्ववेद 20-76-4
- (6) यजुर्वेद 9-22
- (7) शत पथ ब्राह्मण 1-6-1-3
- (8) ऋग्वेद 10-28-08
- (9) वेदों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा पृ. 108
- (10) ऋग्वेद 8-9-10
- (11) अथर्ववेद 8-10-24
- (12) अथर्ववेद 6-30-1
- (13) ऋग्वेद 1-110-5
- (14) ऋग्वेद 8-91-5

- (15) ऐत. ब्रा 35.3
- (16) अथर्ववेद 2-8-5
- (17) यजुर्वेद 16-18
- (18) अथर्ववेद 2-12-1
- (19) अथर्ववेद 6-30-1
- (20) ऋग्वेद 10-32-7
- (21) ऋग्वेद 1-127-6
- (22) यजुर्वेद 16-33-42 और 43
- (23) यजुर्वेद 16-38
- (24) यजुर्वेद 18-18
- (25) अथर्ववेद 3-17-3
- (26) अथर्ववेद 3-17-4
- (27) अथर्ववेद 3-17-5
- (28) अथर्ववेद 3-17-8
- (29) अथर्ववेद 2-8-4
- (30) अथर्ववेद 3-17-6
- (31) अथर्ववेद 3-17-6
- (32) अथर्ववेद 15-2-7
- (33) अथर्ववेद 6-91-1
- (34) काठक संहिता 15-2
- (35) अथर्ववेद 3-14-3
- (36) अथर्ववेद 19-31-3
- (37) ऋग्वेद 3-8-7
- (38) अथर्ववेद 7-11-01
- (39) अथर्ववेद 7-18-2
- (40) अथर्ववेद 6-50-1
- (41) अथर्ववेद 6-50-3
- (42) छान्दोग्य उपनिषद्
- (43) ऋग्वेद 10-68-1
- (44) वेदों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षाशास्त्र- पृ. 118

- (45) अथर्ववेद 4-15-12
- (46) ऋग्वेद 7-49-2
- (47) वेदों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षाशास्त्र- पृ. 120